

स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
अनुसूची-1

(06 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन नये स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

- 1- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नाम:-.....।
- 2- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-.....
पता-.....
मोबाईल नं०-.....
ई-मेल आईडी-.....
- 3- आवेदित स्थल का विवरण -
जिला.....
तहसील.....
ग्राम.....
खसरा संख्या
क्षेत्रफल.....
- 4- प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा)।
- 5- अधिकृत परामर्शदाता/आर्किटेक्ट द्वारा आवेदित स्थल (जिसमें नीति में निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि का क्षेत्रफल मानचित्र पर प्रदर्शित हो) की प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति.....।
- 6- प्लांट परिसर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में).....।
- 7- अनुज्ञा शुल्क का विवरण :- चालान सं०.....धनराशि.....दिनांक.....।
- 8-अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.....।
- 9-यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता।

- 10- फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता.....।
- 11-आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.....।
- 12-यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के विधिवत रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति
- 13-आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति
- 14- आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति.....।
- 15- आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का विधिवत पंजीकृत पट्टा विलेख प्लान्ट की प्रति
- 16- स्थानीय समाचार पत्र में प्रभावित व्यक्तियों की अनापत्ति के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति.....।
- 17- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति.....।
- 18- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति.....।
- 19- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति
- 20 -आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति..।
- 21- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर की प्रति.....।
- 22- प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोत के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति.....।
- 23- प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा, जो कि निरन्तर संचालित रहेंगे, लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र.....।

मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप (अनुसूची-3)।

(03 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के नवीनीकरण एवं प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण के नवीनीकरण हेतु अनुमति प्रदान की जाय।

- 1- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नाम:-
- 2- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-

पता:-

मोबाईल नं0-

ई-मेल आईडी0-

- 3- आवेदित स्थल का विवरण -

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल

- 4- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्थापना की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु पूर्व निर्गत आदेश की प्रति

- 5- प्लांट की क्षमता (टन/घंटा), जिसके लिए नवीनीकरण किया जाना है

- 6- अधिकृत परामर्शदाता/आर्किटेक्ट द्वारा आवेदित स्थल (जिसमें नीति में निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकोटा व भण्डारण स्थल आदि का क्षेत्रफल मानचित्र पर प्रदर्शित हो) की प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट/मानचित्र की प्रति

7- प्लांट परिसर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में).....
.....।

8- आवेदन शुल्क का विवरण (मूल प्रति सहित) :-

चालान सं०	धनराशि	दिनांक

9- पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण.....

क्र०सं०	स्वीकृत अवधि में प्रतिवर्ष विक्रय उपखनिज की मात्रा (टन में)	पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा धनराशि (रु०)

10- अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण का नवीनीकरण अपेक्षित है.....।

11- यदि आवेदक एक व्यक्ति अथवा फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता
.....।

12- आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.....।

13- यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनरशिप डीड की प्रति या मेमोरैंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति।

14- आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।

15- आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति।

16- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति,।

17- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति...
.....।

18- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति।

19- अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने अथवा यदि अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन सम्बन्धी प्रकरणों में अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हो तो मा० न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय आदेश की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति।

20- प्रचलित नीति के अध्याय-I के बिन्दु सं०-6 व अध्याय-III के बिन्दु सं० 2 के अनुपालना के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति।

- 21- आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो तो, संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति...
- 22- प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में अनुबन्ध की नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रति..... ।
- 23- पूर्व से स्थापित प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा, जो कि निरन्तर संचालित रहेंगे, लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण स्वरूप फोटोग्राफ की सत्यापित प्रति..... ।

मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं हेतु स्टोन केशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
(अनुसूची-8)

(03 प्रतियों में)

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

सेवा में,

महानिदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पत्थराइजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन नये स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

- 1- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम:-.....।
- 2- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदक का नाम:-.....
पता:-.....
मोबाईल नं0-.....
ई-मेल आईडी0-.....

3- आवेदित स्थल का विवरण -

क्र० सं०	ग्राम	तहसील	खाता सं०	ख०सं०	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (है० में)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी

- 4- प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा)।
- 5- प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में).....।
- 6- अनुज्ञा शुल्क का विवरण :- चालान सं०..... धनराशि..... दिनांक.....।
- 7- अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.....।
- 8- आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.....।
- 9- यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति।
- 10- राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रैक्ट्स होने की दशा में परियोजनाओं एवं उनके मध्य हुये अनुबन्ध की प्रति।

- 11- आवेदित क्षेत्र का साइट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति.....।
- 12- प्लांट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति
- 14- यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ-पत्र की प्रति
- 15- राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रैक्ट्स होने की दशा में खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति.....।
- 16- राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रैक्ट्स होने की दशा में आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति.....।
- 17- राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रैक्ट्स होने की दशा में वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/ नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति
- 18- आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.....।
- 19- राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रैक्ट्स का जी०एस०टी० नम्बर.....।
- 20- विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण स्थलों/टनलों से निकलने वाले उपखनिज (Muck) में से उपयोगार्थ उपखनिज (Usable material) की मात्रा, जो राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा लिखित रूप से सूचित किया जायेगा, को स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत (Source of Raw Material) के रूप में मान्य होगा, को प्रस्तुत किया जायेगा।
- 21- प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र.....।

मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर।

आज्ञा से,
आर० मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव।